



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

CIC/FAA/P/24/45

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/24/00036

संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00057

अपीलकर्ता : कृष्णा कुमार

वार्ड नं 1, भद्राकाली मार्ग कॉलोनी - नोहर,

जिला - हनुमानगढ़ - 335523 (Ph no 8707812189)

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.02.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	Nil
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	Nil
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. के. राव, CPIO (DR to IC VT)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.03.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	22.03.2024
निर्णय की तारीख	10.04.2024

I. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.02.2024 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

"File No. CIC/MORLY/A/2023/100539

File No. CIC/NRAIL/A/2023/131290

Hearing on 29.01.2024 at 12:05 & 12:10 PM

1.) मुझे उपरोक्त दोनों मेरी hearing की सीसीटीवी फुटेज विडिओ कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध करायी जाये।

"Kindly me my above both Hearings CCTV FOOTAGE & VEDIO CALL RECORDING."

II प्रदान की गई सूचना

श्री आर.के.राव, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई है।

III प्रथम अपील का आधार

उक्त जवाब से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है तथा प्रार्थी उक्त उत्तर के विरुद्ध ये प्रथम अपील निम्न आधारों पर कर रहा है :-

“मेरे द्वारा दिनांक 02.02.2024 पी.ओ.सं 47F007651 10 रुपए के साथ जो लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय के पत्र आगत निर्गत प्रकोष्ठ में भारतीय डाक विभाग ने दिनांक 07.02.2024 को परिदान किया है। लोक सूचना अधिकारी ने आज तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी है। वांछित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः यह प्रथम अपील प्रेषित है।”

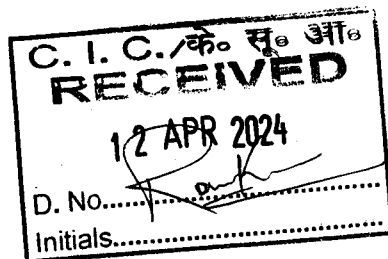
IV निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00057 में सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना प्रदान नहीं कराई गई है। क्योंकि (IC VT) की रजिस्ट्री में कोई भी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करके के दस दिन के भीतर अपीलकर्ता को निःशुल्क प्रदान करें।

V. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

VI. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 10.04.2024



प्रतिलिपि :

- 1). केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 26105021

8/4/24
12-04-24